

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान  
जयपुर

क्रमांक : प्रशि./ज.न.प्र./एम-133/2024/179

दिनांक 20-05-2024

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ में निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग शिक्षण संस्था द्वारा दायर एकलपीठ याचिका में पारित अंतरिम आदेश पिटिशन नं० 16894/2023 दिनांक 01.05.2024 की पालना में एवं राज्य सरकार के क्रमांक प. 25(32)/चिस्वा./ग्रुप-3/2023 दिनांक 17.05.2024 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसरण में निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग मान्यता प्राप्त संस्था एस. टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा को जीएनएम सत्र 2023-24 की पॉचवी कॉउन्सलिंग में 50 सीटों पर छात्र आवंटन हेतु शामिल किया जाता है।

उक्त संस्थान के अनापत्ति पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ विरेन्द्र कुमार)  
उप निदेशक(नर्सिंग)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
सेवायें राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./ज.न.प्र./एम-133/2024/179

दिनांक 20-05-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. उप प्रबंधक (टेक्नीकल), राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर (राज०) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
4. प्रधानाचार्य, एस. टेक. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में अपलोड करने का श्रम करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(नर्सिंग)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
7334766



Digitally signed by Virendra Kumar  
Designation: Deputy Director  
Date: 2024.05.20 11:01:22 IST  
Reason: Approved